निरीक्षण टिप्पणी न्याय पंचायत पतारा विकास खण्ड कुरारा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम– सन्ध्या तिवारी,आई0ए0एस0
पद नाम– जिलाधिकारी हमीरपुर।
निरीक्षण का दिनांक– 8–3–2016

शासन द्वारा जन सामान्य के कल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु समय–समय पर ग्राम भ्रमण विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। तथापि यह अनुभव किया जा रहा है कि प्रत्येक गांव तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से गांववार बैठक किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक गांव तक प्रशासन को पहुंचाने के उद्देश्य से **''प्रशासन आपके आंगन''** योजना के तहत प्रत्येक न्याय पंचायत पर जनपद स्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में दिनांक 8–3–2016 से दिनांक 19–3–2016 तक चौपाल का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। इस आयोजन में समाजवादी पेंशन,वृद्वावस्था पेंशन,पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन,विकलांग पेंशन,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि से सम्बन्धित आवेदन पत्र एकत्रित किये जायेंगे,साथ ही गांव एवं ग्रामवासियों की समस्याओं से सम्बन्धित विवरण भी एकत्रित किये जायेंगे।

इसी क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मेरे द्वारा दिनांक 8–3–2016 को न्याय पंचायत पतारा के अंतर्गत आने वाले गावों की बैठक/चौपाल ग्राम पतारा में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में जिला विकास अधिकारी,उपायुक्त मनरेगा,उप जिलाधिकारी हमीरपुर,तहसीलदार हमीरपुर,खण्ड विकास अधिकारी कुरारा अन्य अधिकारीगण,ग्राम प्रधान/प्रतिनिधि पतारा,झलोखर,कण्डौर,पारा,जल्ला सहित ग्राम पतारा और इस न्याय पंचायत के ग्रामवासी उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम विभिन्न विभागों द्वारा अपने–अपने विभागीय योजनाओं/कार्यो की जानकारी ग्रामवासियों दी गयी।

समाज कल्याण विभाग—जिला समाज कल्यांण अधिकारी,हमीरपुर द्वारा ग्रामवासियों को समाजवादी पेंशन योजना,वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

शिक्षा विभाग—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अधिकारी द्वारा निःशुल्क पाठ्य,पुस्तकें,निःशुल्क ड्रेस एवं मध्यान्ह भोजन् व्यवस्था के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को अवगत कराया गया। साथ ही ग्रामवासियों से अपील की गयी कि बच्चों को नियमित रुप से विद्यालय भेजा जाय तथा समय–समय पर शिक्षा की गुणवत्ता,अध्यापकों की उपस्थिति एवं मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता भी देखी जाय।

पशु पालन विभाग— मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने पशुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं रोकथाम के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। जनपद में सूखे के दृष्टिगत पशुओं के लिये भूसा की उपलब्धता के सम्बन्ध में बताया गया। पशु चिकित्साधिकारी कुरारा बताया गया कि ग्राम में पतारा में दिनांक 5–3–2016 को गलाघोंटू के 470 टीके लगाये गये हैं। उनके द्वारा जिन पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को टीके लगाये गये हैं उनके नाम मूलचन्द्र, नत्थू, बृजराज, मुकेश,महिपाल,हरिश्चन्द्र,सियाराम,बलराम आदि पढकर सुनाये गये।

श्रम विभाग—श्रम विभाग द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही विभिन्न चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामवासियों को को जानकारी दी गयी तथा योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु पात्रता एवं प्रकिया के सम्बन्ध् में बताया गया।

न्यायपंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पेंशन के सम्बन्ध में ग्रामवार प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा की गयी तथा न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के ग्रामवार ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियौ को निर्देश दिये गये।

ग्राम पंचायत पारा

बैठक/चौपाल में ग्राम पंचायत पारा से ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं रहे। ग्राम के अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। बैठक/चौपाल में समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम में पेंशन हेतु मात्र 02 आवेदन पत्र प्राप्त किये गये हैं।पूर्व में सभी सम्बन्धित को निर्देश दिये गये थे कि 60 वर्ष के ऊपर के सभी पात्र व्यक्तियों के वृद्वावस्था पेंशन फार्म भराये जायें,किन्तु ग्राम पारा के ग्राम विकास अधिकारी श्री संजय शर्मा द्वारा मात्र 02 आवेदन पत्र भराये गये। यह उनकी कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य अत्यन्त खराब पाया गया। जिला विकास अधिकारी को उक्त ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—जिला विकास अधिकारी हमीरपुर।)

ग्राम पारा निवासी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामदास द्वारा बताया गया कि दिनांक 5–10–2015 को उसका एक्सीडेंट हो गया था,जिसके फलस्वरूप से विकलांग हो गया। एक माह पूर्व उसके द्वारा विकलांग प्रमाण पत्र बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया था,लेकिन अभी तक उसका प्रमाण पत्र नहीं बना है। तीन दिवस के अन्दर इसका विकलांग प्रमाण पत्र बनवाये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर।)

श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामदास द्वारा बताया गया कि उसके घर के पास स्थापित हैण्डपम्प खराब है उसे रिबोर होना है। उसके द्वारा उक्त हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने की मांग की गयी। निर्देश दिये गये कि इसे दिखवा लें यदि 100 मीटर के अन्दर और कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित न हो तो इसे नियमानुसार रिबोर करा दिया जाये। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम पारा में स्थापित टंकी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल की समस्या होती है। निर्देश दिये गये कि जांच कराकर पाईप लाइन की मरम्मत करायी जाये।

(कार्यवाही—अधिशाषी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर।)

ग्राम पंचायत कण्डौर

ग्राम पंचायत कण्डौर के अंतर्गत सचिव द्वारा विभिन्न पेंशनों के अंतर्गत 103 आवेदन पत्र एकत्रित किये गये हैं। कतिपय ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में हैण्डपम्प मरम्मत,खडंजा बनाये जाने की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। कतिपय ग्रामवासियों द्वारा राशनकार्ड कार्ड बनाये जाने की मांग की गयी।
(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता जल निगम/खण्ड विकास अधिकारी कुरारा/जिला पूर्ति अधिकारी हमीरपुर।)

ग्राम पंचायत झलोखर

बैठक में ग्राम झलोखर से ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। खण्ड विकास अधिकारी कुरारा द्वारा बताया गया कि ग्राम झलोखर में विभिन्न पेंशनों के अंतर्गत 80 आवेदन पत्र भरवाये गये हैं,जिनमें रिपोर्ट हेतु लेखपाल के पास भेजे गये हैं। निर्देश दिये गये कि तत्काल रिर्पोटआदि की कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर/समाज कल्याण अधिकारी हमीरपुर।)

ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 7–3–2016 को हुयी ओलावृष्टि से नुकसान का सत्यापन कराये जाने की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को बताया गया कि ओलावृष्टि का सर्वे/सत्यापन लगभग 10 दिनों बाद विभिन्न तिथियों में नियमानुसार किया जायेगा,ताकि क्षति का आंकलन सही तरीके से हो सके।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर।)

ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनाये जाने की मांग की गयी। सम्बन्धित अधिकारी को इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर।)

ग्राम पंचायत जल्ला

बैठक में ग्राम जल्ला से ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत जल्ला के अंतर्गत सचिव द्वारा विभिन्न पेंशनों के अंतर्गत मात्र 06 आवेदन पत्र एकत्रित किये गये हैं। सचिव द्वारा वृद्वावस्था,समाजवादी पेंशन आदि के पात्र लाभार्थियों के आवेदन पत्र भराने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। निर्देश दिये गये कि 60 वर्ष के ऊपर के सभी पात्र व्यक्तियो को वृद्वावस्था पेंशन योजना के फार्म भरवाये जायें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।)

ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में बरातशाला बनवाये जाने की मांग की गयी। प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम में पंचायत घर बना है,लेकिन मरम्मत न होने के कारण प्रयोग में नहीं है। प्रधान को निर्देश दिये गये कि पंचायत की नियमानुसार मरम्मत कराकर इसे बारातशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिये गये कि पंचायत भवन को ग्राम पंचायत को नियमानुसार दे दिया जाये।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।)

ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के राशन कार्ड उपलब्ध न होने की शिकायत की गयी। प्रधान द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आवेदन पत्र फीड न हो पाने की समस्या बतायी गयी। जिला पूर्ति अधिकारी को तत्काल उक्त आवेदन पत्र ऑनलाइन फीड कराने के निर्देश दिये गये। ग्राम प्रधान को भी बताया गया कि वे स्वयं आवेदन पत्र ऑनलाइन फीड करा सकते हैं।

(कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।)

ग्राम पंचायत पतारा

बैठक में ग्राम पतारा से ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत पतारा के अंतर्गत सचिव द्वारा विभिन्न पेंशनों के अंतर्गत 36 आवेदन पत्र एकत्रित किये गये,जो जांच हेतु लेखपाल को भेजे गये हैं। निर्देश दिये गये कि 60 वर्ष के ऊपर के सभी पात्र व्यक्तियो को वृद्वावस्था पेंशन योजना के फार्म भरवाये जायें।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।)

ग्रामवासियों द्वारा दिनांक 7–3–2016 को हुयी ओलावृष्टि से नुकसान का सत्यापन कराये जाने की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को बताया गया कि ओलावृष्टि का सर्वे/सत्यापन लगभग 10 दिनों बाद विभिन्न तिथियों में नियमानुसार किया जायेगा,ताकि क्षति का आंकलन सही तरीके से हो सके।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर।)

ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में बरातघर बनाये जाने की मांग की गयी। ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम में स्थित पंचायत भवन में पुलिस चौकी संचालित है। बताया गया कि ग्राम में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस चौकी आवश्यक है। जिला पंचायत अधिकारी को बरातघर के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–जिला पंचायत राज अधिकारी हमीरपुर।)

कतिपय ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गयी है कि उन्हें अभी तक कृषि निवेश अनुदान की राहत राशि प्राप्त नहीं हुयी है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर सभी पात्र कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी हमीरपुर।)

ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि ग्राम में पेयजल हेतु टंकी स्थापित है। लेकिन उक्त टंकी की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण गांव के दक्षिण की ओर पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उपस्थित अवर अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये कि तत्काल इसे दिखवाकर समस्या का निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम से स्वंय देखें।

(कार्यवाही–अधिशाषी अभियन्ता जल निगम हमीरपुर।)

ग्राम में वृद्धावस्था पेंशन,समाजवादी पेंशन एवं अन्य योजनाओं में पारदर्शिता बनाये जाने रखने तथा उक्त योजनाओं में किसी पात्र के न छूटने एवं अपात्रों का चयन न होने के दृष्टिगत गांव के 07 नवयुवकों की एक टीम बैठक के दौरान ही बनायी गयी। जिनमें ग्राम के श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री काशीराम,अरविन्द सिंह पुत्र रामकृपाल,राजकरन सिंह चन्देलपुत्र अमर सिंह,राकेश यादव पुत्र प्रभुदयाल,श्री हिम्मत सिंह समर्थ फाउन्डेशन कुरारा,श्री रणवीर सिंह पुत्र बाबूराम,राकेश कुमार पुत्र शिवपाल को शामिल करते हुए उन्हें बताया गया कि विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं अन्य योजनाओं में व्यक्तियों के चयन के दौरान उनकी पात्रता की जांच की जाये एवं ग्राम की जनसामान्य की समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी उच्चाधिकारियों तक दी जाये।

(कार्यवाही–खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।)

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या– 660 /पी0ए0 दिनांक–मार्च 11 ,2016

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–आयुक्त,चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2–मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
3–अपर जिलाधिकारी,वि0/रा0 हमीरपुर।
4–उप जिलाधिकारी हमीरपुर।
5–खण्ड विकास अधिकारी कुरारा।
6–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हमीरपुर को वेबवाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7- समस्त सम्बन्धित अधिकारी

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।